न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 76 / 2016

धनेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री मोतासिंह जाति जाट निवासी रूंध मजरा पंचगाव तहसील व जिला धौलपुर ....वादी

बनाम

1– सुखदेवसिंह पुत्र श्री नामालूम । समस्त जाति जाट सिक्ख निवासी गांव
2– श्रीमती परमजीत कौर पत्नी सुखदेवसिंह। रूंध मजरा पचगांव तहसील व जिला
3–श्रीमती इन्द्रजीत कौर पत्नी सतनामसिंह । धौलपुर राजस्थान
4–श्रीमती पूरन कौर पत्नी श्री बृजमोहनसिंह।
5–विट्टू पुत्र श्री सुखदेवसिंह । ....असल प्रतिवादीगण
6– भारतीय महिला बैंक बैंक शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रबंधक ....तरतीवी प्रतिवादी

दावा स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट)

उपस्थिति : श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट,वादी

निर्णय **दिनांक : 07.02.2025**

वादी ने प्रतिवादीगण के खिलाफ राजस्व वाद वावत् स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय में इन तथ्यों के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2250, 2650, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693 बाकै ग्राम रूंध एवं आराजी खसरा नम्बर 2, 70 बाकै ग्राम महमदपुर तहसील व जिला धौलपुर के वादी पूर्ण भाग के अभिलिखित खातेदार कृषक है। का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है और ना ही कभी रहा है। विवादित आराजी पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 6 से ऋण भी ले रखा है। मूल प्रतिवादीगण गिरोहबंद झगड़ालू किस्म के बेईमान लोग है। तथा वादी को सरसों की फसल एवं नाली निर्माण करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है। नाली निर्माण हेतु खसरा नम्बर 2250 में निर्माण सामग्री पड़ी है तथा कृषि उपयोगी सामान रखने के लिए गोदाम बना है, वादी कृषि कार्य एवं पशु पालन करता है। मूल प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि वे विवादितगण ने वादी को धमकी दी कि वे विवादित आराजी वादी की जोती हुई पर मूल प्रतिवादीगण सरसों की फसल बोयेंगे तथा वादी को फसल नहीं बोने देंगे ना ही सिंचाई हेतु नाली निर्माण करने देंगे। ना ही जुताई के लिए शेष बची भूमि को जोतने बोने देंगे वादी ने जोर जबर्दस्ती की तो वादी अकेला है हाथ पैर तोड़ देंगे संगीन वारदात कर संगीन झूठा केस लगा देंगे। इसलिए प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से वादी को बेदखल नहीं करने, स्वयं अथवा अपने ऐजेन्टों के माध्यम से विवादित आराजी पर कब्जा नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से उनके वकील उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अन्य शेष प्रतिवादीगण की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया दिनांक 24.06.2024 को प्रतिवादीगण एवं उनके अभिभाषक में से कोई उपस्थित नहीं आने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्बत 2070–73, जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, पेश की है तथा मौखिक साक्ष्य हेतु वादीगण को पर्याप्त मौका दिया गया लेकिन उनकी ओर से कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं हुई।

हमने विद्वान अभिभाषक वादी की एकपक्षीय वहस सुनी। प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी ने यह वाद राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। धारा 188 के अधीन अनुतोष पाने के लिये वादी को स्वंय को टेनेन्ट सावित करना एवं कब्जा सावित करना आवश्यक होता है। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्बत 2070 से 73 एवं सम्वत 2072 से 2075 के अनुसार वादीगण का विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार व काबिज होना वखूवी सावित होता है। पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग कलैक्ट्रेट धौलपुर के पत्रांक सम्पर्क/राज्य/2022–23/04 दिनांक 02.01.2023, के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादी का कब्जा है। चूंकि वादी विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार कृषक है जिस कारण वादी धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः हम उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः आदेश है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 2250, 2650, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693 बाकै ग्राम रूंध एवं आराजी खसरा नम्बर 2, 70 बाकै ग्राम महमदपुर तहसील व जिला धौलपुर पर वादी के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत वेजा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर (राज०)

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज०)